



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1632 / 2042-0008 / 16

दिनांक : 27 / 12 / 2016

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)

उ०प्र० जल निगम।

झाँसी/इलाहाबाद/कानपुर/मुरादाबाद/वाराणसी/फैजाबाद/आगरा/गाजियाबाद/लखनऊ/गोरखपुर।

विषय:- ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-390/अड़तीस-5-16-22 सम/2013 दिनांक 27.04.16 के अन्तर्गत मा० विधान सभा एवं मा० विधान परिषद के प्रत्येक मा० सदस्य की संस्तुति पर पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नये इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा हैण्डपम्पों के रिबोर से संबंधित तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी०ओ०-88/कार्यक्रम अनुभाग पेयजल/2016-17 दिनांक 10.08.16 द्वारा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रू० 87,30,33,300.00 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी०ओ०-87/कार्यक्रम अनुभाग पेयजल/2016-17 दिनांक 10.08.16 द्वारा अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत रू० 3,25,67,35,500.00 की धनराशि मा० विधान सभा सदस्यों एवं मा० विधान परिषद सदस्यों के उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित 100 नये/100 रिबोर हैण्डपम्पों हेतु उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष कुल रू० 32851.60 लाख की धनराशि पूर्व में क्षेत्रों को अवमुक्त की जा चुकी है।

राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नये/रिबोर निर्माणाधीन इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू० 1928.24 लाख (सेन्टेज रहित) प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं. -916/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 22.12.16 द्वारा क्षेत्रों को निम्नानुसार अवमुक्त कर दी गई है।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	पताका-च के अनुसार	पताका-छ के अनुसार	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	आगरा	163.54	153.16	316.70
2	इलाहाबाद	70.81	69.75	140.56
3	फैजाबाद	62.15	52.22	114.37
4	गाजियाबाद	162.97	148.44	311.41
5	गोरखपुर	53.14	52.97	106.11
6	झाँसी	63.65	62.35	126.00
7	कानपुर	75.09	48.07	123.16
8	लखनऊ	100.61	75.85	176.46
9	मुरादाबाद	134.50	116.31	250.81
10	वाराणसी	137.87	124.79	262.66
	योग	1024.33	903.91	1928.24

कृपया संलग्न सूची के अनुसार धनराशि जनपदों को अविलम्ब उपलब्ध कराने तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

